मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001
Web: www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail:msukpcb@yahoo.com

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 30 वीं बैठक दिनांक 27.02.2023 को मुख्यालय, **उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरादेवी पर्यावरण भवन,** में **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय।
2. श्री एस0के0 पटनायक, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. डा0 विजय श्रीधर, एसिसटेन्ट प्रोफेसर, कुलपति, दून विश्वविद्यालय।
4. डा0 बिहु सुचेतना, एसिसटेन्ट प्रोफेसर, आई0आई0टी0, रूड़की।
5. श्री एस0एस0 रावत, अधिशासी अभियन्ता, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण।
6. श्री विनोद लाल, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर।
7. श्री एस0पी0 जोशी, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
8. श्री सुशील भट्ट, सहायक अभियन्ता, सिडकुल, देहरादून।
9. श्री वैभव गुप्ता, नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार।
10. श्री जी0पी0 सिंह, महाप्रबन्धक, पेयजल निगम।
11. श्री विनित सिंघल, अध्यक्ष, के0जी0सी0सी0आई0, काशीपुर। (वी0सी0 के माध्यम से)

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्डएवं सभी मान्य सदस्यों का स्वागत करते हुये **अध्यक्ष महोदय** की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्य सूची सं0 30.1	**बोर्ड की 29 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।**	29वीं बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं0 29.4, जो कि Induction Furnace में Side Draft Hood Technology स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कुल 11 ऐसे उद्योग जिनके द्वारा Side Draft Hood Technology स्थापित नहीं की गयी है तथा 15 ऐसे उद्योग जिनमें Side Draft Hood Technology स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है, को अन्तिम रूप से दिनांक 30.06.2023 का

		समय प्रदान करते हुये 29वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत का अनुमोदन किया गया है।
कार्य सूची सं0 30.2	**उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं के रिटेनरशिप/प्रति मामलों में दिये जाने वलो शुल्क में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।**	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिंन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं के रिटेनरशिप/शुल्क इत्यादि के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकृत किया गया है।
कार्य सूची सं0 30.3	**सफेद श्रेणी के उद्योगों को स्थापनार्थ सहमति एवं निर्धारित शुल्क से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सफेद श्रेणी के उद्योगों को स्थापनार्थ सहमति पत्र (CTE) लिया जाना अनिवार्य होगा व समस्त सफेद श्रेणी के उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की शक्ति क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रतिनिधायित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
कार्य सूची सं0 30.4	**स्थापनार्थ सहमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निस्तारण की समय सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।**	स्थापनार्थ सहमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों के पूर्ण रूप से निस्तारण हेतु निम्नानुसार समयावधि निर्धारित की गयी:– 1. हरित श्रेणी/सफेद श्रेणी के उद्योग– 30 दिन 2. नारंगी श्रेणी के उद्योग – 45 दिन 3. लाल श्रेणी के उद्योग – 60 दिन
कार्य सूची सं0 30.5	**संचालनार्थ सहमति वैधता अवधि को पूरे वर्ष में फैलाव (scatter) किये जाने के सम्बन्ध में।**	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
कार्य सूची सं0 30.6	**Continuous Air Quality Monitoring Stations की स्थापना की प्रगति से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।**	बोर्ड द्वारा Continuous Air Quality Monitoring Stations की स्थापना एवं संचालन की प्रगति से अवगत होते हुये National Clean Air Program (NCAP) के अन्तर्गत विभिन्न Stakeholders के साथ समय–समय पर समीक्षा बैठक आहुत किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये।
कार्य सूची सं0 30.7	**महुआखेड़ागंज, काशीपुर स्थित Scrap lead acid battery उद्योगों से हो रहे प्रदूषण पर प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।**	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्य सूची सं0 30.8	**ईंट भट्टों के सहमति शुल्क तथा ईंट भट्टों द्वारा नैच्चुरल ड्राफ्ट से इन्डयूस्ड ड्राफ्ट (जिग–जैग बिक्र सैटिंग के साथ रैक्टेंगुलर आकार क्लिन) में परिवर्तन करने हेतु समय–सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के अनुरूप ईंट भट्टों को नैच्चुरल ड्राफ्ट से इन्डयूस्ड ड्राफ्ट (जिग–जैग बिक्र सैटिंग के साथ रैक्टेंगुलर आकार क्लिन) में परिवर्तन करने हेतु अन्तिम रूप से दिनांक 30.06.2023 का समय दिया गया है। इसके साथ–साथ ईंट भट्टों को सहमति शुल्क में शिथिलता प्रदान न किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

अन्त में सभी मान्य सदस्यों के धन्यावाद के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

10/3

(एस0के0 पटनायक)
सदस्य सचिव

अनुमोदित

(आर0के0 सुधांशु)
अध्यक्ष

यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–06(30वीं बोर्ड बैठक) / 2023 / 1957, **दिनांक** 18/03/23.

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय।
2. श्री एस0के0 पटनायक, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. डा0 विजय श्रीधर, एसिसटेन्ट प्रोफेसर, कुलपति, दून विश्वविद्यालय।
4. डा0 बिहु सुचेतना, एसिसटेन्ट प्रोफेसर, आई0आई0टी0, रूड़की।
5. श्री एस0एस0 रावत, अधिशासी अभियन्ता, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण।
6. श्री विनोद लाल, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर।
7. श्री एस0पी0 जोशी, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
8. श्री सुशील भट्ट, सहायक अभियन्ता, सिडकुल, देहरादून।
9. श्री वैभव गुप्ता, नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार।
10. श्री जी0पी0 सिंह, महाप्रबन्धक, पेयजल निगम।
11. श्री विनित सिंघल, अध्यक्ष, के0जी0सी0सी0आई0, काशीपुर।
12. गार्ड फाईल।

10/3
सदस्य सचिव